कार्यालय उद्यान विज्ञान विभाग

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर–208002

दिनाकः अक्टूबर 12 2021

पत्रांकः /उ0वि0वि0/2021

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में दिनांकः 18.10.2021 को सांय 3.00 बजे निम्न फसलों की नीलामी सार्वजनिक रूप में सम्पन्न होगी।

नीलामी स्थल– उद्यान विज्ञान विभाग (गार्डेन), चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर (पत्थर कालेज)

उद्यान, मुख्यालय नर्सरी एवं कल्यानपुर नर्सरीः– आंवला, बेल, बेर, कैथा एवं नीबूं (वर्तमान फलत)

नीलामी की शर्ते

1. बोली बोलने वाले ठेकेदार को बोली बोलने से पहले रू0 5000.00 (पांच हजार रूपया) जमानत के रूप में जमा करना होगा। सबसे उच्चतम बोली वाले क्रमशः दो ठेकेदारों को छोड़कर बाकी का रूपया वापस कर दिया जायेगा।
2. बोली समाप्त होने पर लगाये गये मूल्य की सम्पूर्ण धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी। यदि प्रथम उच्च बोली वाले ठेकेदार ने उक्त धनराशि जमा नही की तो द्वितीय उच्च बोली वाले ठेकेदार को आमंत्रण दिया जायेगा तथा प्रथम की जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
3. नीलामी को स्वीकृत एवं निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार विभागाध्यक्ष को है।
4. ठेकेदार नीलामी में खरीदे गये फसल में अथवा अन्य फलों के पेड़ो से डाली एवं टहनियों को नुकसान नही पहुंचायेगा। ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेगा जिससे अनुशासन भंग हो। यदि ठेकेदार ऐसा करता पाया गया तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा नुकसान का पूर्ण मुआवजा ठेकेदार को देना होगा।
5. ठेकेदार द्वारा फलों की रखवाली हेतु केवल उनके चौकीदार ही बगीचे में आ/जा सकेगें। ठेकेदार के अन्य लोग प्रभारी गार्डेन की अनुमति पर ही गार्डेन में जा सकेगें।
6. ठेकेदार कोई भी वाहन बिना विभागाध्यक्ष की अनुमति के अन्दर बगीचे में नहीं ले जा सकेगा।
7. जिसके नाम उचित बोली छूटेगी वही फसल का अन्त तक उत्तरदायी होगा। दूसरे किसी को यह अधिकार हस्तान्तरित नही किया जायेगा।
8. फसल की सिंचाई आवश्यकतानुसार ही की जायेगी किन्तु बिजली कट जाने की स्थिति में अथवा ट्यूबवेल खराब हो जाने पर पानी की कोई जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी।
9. दैबी प्रकोप या पशु पक्षियों या अन्य किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिये विभाग उत्तरदायी नही होगा।
10. ठेकेदार का अधिकार केवल इसी एक फसल तक का होगा तथा फलों की तुड़ाई का कार्य दिसम्बर माह के अन्त तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करना होगा।
11. कोई भी ठेकेदार अपने साथ मुर्गा, मुर्गी, बकरा, भैंस या अन्य कोई जानवर नही लायेगा।
12. नीलाम की गई फसल की रखवाली की जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं होगी।

(वी0के0त्रिपाठी)
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष

पत्रांकः 502 /उ0वि0वि0/2021 तद् दिंनाक।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर।
3. जिला उद्यान अधिकारी, कानपुर नगर।
4. समस्त ठेकेदारों को सूचनार्थ प्रेषित।
5. अर्थ नियंत्रक, च0शे0आ0कृषि एवं प्रौ0वि0वि0, कानपुर।
6. प्रभारी, ए0के0एम0यू0 को इस आशय से कि उक्त सूचना को बेवसाइड पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. सूचना पट।
8. कुलपति के तकनीकी सचिव को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

12/10/21

(वी0के0त्रिपाठी)
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष